



डॉ० राममनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक: लो०अ०वि०/सम्ब०/2019/310

दिनांक : 30.05.2019

सम्बद्धता आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम—1973 (यथासंशोधित) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—14 सन् 2014) की धारा—37(2) के परन्तुक के अधीन कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक 30.05.2019 के अनुपालन में उर्मिला ग्रामीण शिक्षण संस्थान महाविद्यालय, कोटसराय, अयोध्या को स्नातक स्तर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, अंग्रेजी, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, भूगोल एवं राजनीतिशास्त्र विषय एवं विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषय तथा वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी०काम पाठ्यक्रम को स्ववित्तप्रेषित योजनान्तर्गत संचालित किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2019–20 से स्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

- संस्था / महाविद्यालय शासनादेश संख्या: 2851/सत्तर-2-2003-15(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई, 2003 मे उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय मे समय-समय पर अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
- संस्था / महाविद्यालय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता की शर्त महाविद्यालय निरन्तर पूरी कर रहा है।
- संस्था / महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की अधिनियम/परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित न किये जाने की दशा मे उ०प्र० राल्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- संस्था / महाविद्यालय को सम्बद्धता आदेश महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित प्रपत्रों/सूचनाओं के असत्य पाये जाने की दशा मे महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों का बायोडाटा, आधार-कार्ड, अनुबन्ध पत्र वेतन भुगतान का विवरण विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने के साथ अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों के द्वारा ही परीक्षा आदि कार्य सम्पादित कराये जायेंगे।
- प्रत्येक वर्ष AISHE के PORTAL पर DCF-II से सम्बन्धित सूचनाएं अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- मा० उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या—61859/2012 मे पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन मे मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध मे निर्गत शासनादेश संख्या—522/सत्तर-2-2013-2(650)/ 2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
- संस्था / महाविद्यालय द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेगी।
- संस्था / महाविद्यालय द्वारा शासनादेश संख्या—421/सत्तर-1-2015-16(20)/2011, दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जायेगी।
- संस्था / महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों की निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय


कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रबन्धक, उर्मिला ग्रामीण शिक्षण संस्थान महाविद्यालय, कोटसराय, अयोध्या।
- परीक्षा नियन्त्रक, डॉ० राम मनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, अयोध्या।
- निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
- प्रोग्रामर, ई०ड००प०० सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।


कुलसचिव